

देश की उपासना

(देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए)

वर्ष - 03

अंक - 114

जैनपुर, शुक्रवार, 13 दिसम्बर 2024

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा

हनुमान मंदिर अद्यायवट और संगम पर पहुचे

प्रयागराज, (संवाददाता)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के भीतर बृहस्पतिवार को फिर प्रयागराज पहुंचे। संगम पहुंचकर उहोंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही प्रधानमंत्री के सभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके पूर्व वह मेला क्षेत्र में बैने केंद्रीय अस्पताल की भी जायजा लिया। सीएम ने केंद्रीय हॉस्पिटल की तैयारियों को सहाया। आईसीयू वार्ड के एआईसीस्टम को भी देखा। निरीक्षण के दौरान सबसे ज्यादा समय आईसीयू वार्ड में ही बिताया। योगी ने वैटेलेशन हॉस्पिटल में वैटेलेशन बढ़ाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री गंगा रिवर फ्रेंट रोड समेत महाकुंभ के कई अन्य निर्माण कार्यों का



निरीक्षण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संगमनगरी पहुंच रहे हैं। मोदी गंगा पूजन कर महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। साथ ही सतत हजार करोड़ रुपये की निर्माण परियोजनाओं की सौगत देंगे। मुख्यमंत्री अभी सात दिसंबर को आए थे। इससे पहले 27 नवंबर को भी वह आए थे।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की

नई दिल्ली,(एजेंसी) एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। प्रफुल्ल पटेल ने अपने साशाल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स्स (पूर्व में ट्रिवटर) पर बैठक के दौरान सभी भाजपा नेताओं के बारे में एक धोखा दिया। प्रफुल्ल पटेल ने एक पोस्ट में कहा, आज दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मिलना सौम्यग्र की बात है, साथ ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री अजितपाल पवार, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील तटकरे और राज्यसभा सांसद श्रीमती सुनेता पवार की भी भौजूद थीं। महाराष्ट्र के विकास के लिए विचारों

का शानदार आदान-प्रदान हुआ। महाराष्ट्र चुनावों में महायुति की भारी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्रीद से कहीं जयादा सीटें मिली हैं। टाइम्स नेटवर्क द्वारा आयोजित इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरान की गई सरकारी नियमों के बारे में चर्चा की। इसके बाद योगी ने सलोरी में एसटीपी का निरीक्षण किया। यहां पर काले पानी को

उत्तरांश के लिए अपने लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का दिल्ली दिया।

अनुचित, सदस्यों से व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचने का अनुरोध करुंगा : ओम बिरला

नई दिल्ली,(एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को दूसरे चार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा की गई विवादास्पद टिप्पणियों की निवारी की ओर सदस्यों से अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला या फुर्झ पर व्यक्तिगत टिप्पणियों के बारे में किसी भी जाति।

समाज, महिला, पुरुष आदि पर व्यक्तिगत टिप्पणियों और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें। माननीय सदस्य (कल्याण बनर्जी) ने सदन में इसके लिए माफी भी मार्गी है और मुख्य निवित में भी दिया है, लोकसभा अध्यक्ष अम बिरला ने सदन में कहा। प्राधिकरण की टीम पर हमला किया बुधवार को संसद में आपदा प्रबंधन विधेयक पर चारों के दोरान भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी के कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस के कारण लोकसभा में अराजकता फैल गई। विवाद तब गुरुवार जब बनर्जी ने व्यक्तिगत आरोप लगाए, जिसमें सिंधिया के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी भी शामिल थी, जिसने भाजपा की महिला सांसदों को नाराज कर दिया। उहोंने तुरंत बनर्जी को सदन के बाहर निकालने की मांग की।

समाज के सभी वर्गों को अधिकार देने की जरूरत : सोरेन

नई दिल्ली,(एजेंसी)। ज्ञारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि समाज के सभी वर्गों, विशेषज्ञ पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 में कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता के चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने के लिए उपर्योग में आपसी पार्टी के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुआ। संघर्ष से उपर्योग पार्टी है ज्ञारखंड मुक्ति मोर्चा। यही कारण है कि हमें ज्ञारखंड हक-अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है।' उहोंने कहा, 'विगत विवादास्पद टिप्पणियों की जारी रुख विवादास्पद टिप्पणी के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं सम्मानित सदस्यों से अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला या फुर्झ पर व्यक्तिगत टिप्पणियों के बारे में किसी भी जाति।

समाज के सभी वर्गों को अधिकार देने की जरूरत : सोरेन

नई दिल्ली,(एजेंसी)। ज्ञारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि समाज के सभी वर्गों, विशेषज्ञ पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 में कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता के चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने के लिए उपर्योग में आपसी पार्टी के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुआ। संघर्ष से उपर्योग पार्टी है ज्ञारखंड मुक्ति मोर्चा। यही कारण है कि हमें ज्ञारखंड हक-अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है।' उहोंने कहा, 'विगत विवादास्पद टिप्पणियों की जारी रुख विवादास्पद टिप्पणी के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं सम्मानित सदस्यों से अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला या फुर्झ पर व्यक्तिगत टिप्पणियों के बारे में किसी भी जाति।

समाज, महिला, पुरुष आदि पर व्यक्तिगत टिप्पणियों और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें। माननीय सदस्य (कल्याण बनर्जी) ने सदन में इसके लिए माफी भी मार्गी है और मुख्य निवित में भी दिया है, लोकसभा अध्यक्ष अम बिरला ने सदन में कहा। प्राधिकरण की टीम पर हमला किया बुधवार को संसद में आपदा प्रबंधन विधेयक पर चारों के दोरान भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और टीएमसी के कल्याण बनर्जी के बीच तीखी बहस के कारण लोकसभा में अराजकता फैल गई। विवाद तब गुरुवार जब बनर्जी ने व्यक्तिगत आरोप लगाए, जिसमें सिंधिया के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी भी शामिल थी, जिसने भाजपा की महिला सांसदों को नाराज कर दिया। उहोंने तुरंत बनर्जी को सदन के बाहर निकालने की मांग की।

समाज के सभी वर्गों को अधिकार देने की जरूरत : सोरेन

नई दिल्ली,(एजेंसी)। ज्ञारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा कि समाज के सभी वर्गों, विशेषज्ञ पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 में कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता के चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने के लिए उपर्योग में आपसी पार्टी के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुआ। संघर्ष से उपर्योग पार्टी है ज्ञारखंड मुक्ति मोर्चा। यही कारण है कि हमें ज्ञारखंड हक-अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है।' उहोंने कहा, 'विगत विवादास्पद टिप्पणियों की जारी रुख विवादास्पद टिप्पणी के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं सम्मानित सदस्यों से अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला या फुर्झ पर व्यक्तिगत टिप्पणियों के बारे में किसी भी जाति।

भारतीय उपासना अधिनियम का उल्लंघन कैसे हुआ इस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला

चाहते हैं कि सभी विवादित स्थानों का संवैधानिकता के चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करने के लिए उपर्योग में आपसी पार्टी के केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में शामिल हुआ। संघर्ष से उपर्योग पार्टी है ज्ञारखंड मुक्ति मोर्चा। यही कारण है कि हमें ज्ञारखंड हक-अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है। लड़कर जीत हासिल की है, कभी हार नहीं मानी है।' उहोंने कहा, 'विगत विवादास्पद टिप्पणियों की जारी रुख विवादास्पद टिप्पणी के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं सम्मानित सदस्यों से अपने भाषणों में किसी भी जाति, समाज, महिला या फुर्झ पर व्यक्तिगत टिप्पणियों के बारे में किसी भी जाति।

संगम नोज पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। योगी ने अक्षयवट, हनुमान मंदिर, सरसवाई कूप का भी वैयाकरण किया। प्रयागराज दौरे पर आए सीएम योगी

संपादकीय

नशे के खिलाफ अभियान


देश में नासूर बनते नशे के खिलाफ अभियान में यदि 114 वर्षीय धावक फौजा सिंह प्रेरक पदयात्रा कर सकते हैं तो ऊर्जावान युवा-बुजुर्ग क्यों नहीं। 'नशा मुक्त-रंगला पंजाब' अभियान के अंतर्गत निकाले गए नशा विरोधी मार्च में मंगलवार को मैराथन धावक फौजा सिंह के साथ ही पंजाब के राज्यपाल अस्सी वर्षीय गुलाब चंद कटारिया की आठ किलोमीटर की पैदल यात्रा सुर्खियों में रही। निश्चित रूप से पंजाब सरकार की पहल अनुकरणीय है। इसमें दो राय नहीं कि कोई भी बड़ा सामाजिक बदलाव का आंदोलन व्यापक जन भागीदारी से ही सिरे चढ़ सकता है। आज पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में युवा पीढ़ी जिस भयावह तरीके से नशे के दलदल में धंसती जा रही है, वह राष्ट्र के लिये एक गंभीर चुनौती है। जिसका मुकाबला सरकारों के साथ आम आदमी के जुड़ाव से ही संभव है। निश्चित रूप से ऐसी पदयात्रा सिर्फ राजनीतिक निहितार्थी और प्रतीकात्मक रूप से आयोजित नहीं होनी चाहिए। ऐसे अभियान को आंदोलन का रूप देकर इस तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही इस तरह के अभियानों से हासिल उपलब्धियों का मूल्यांकन भी जरूरी है। निःसंदेह, औपचारिकताओं के निर्वहन और मीडिया में सुर्खियां बटोरना ऐसे आंदोलन का लक्ष्य तो कदापि नहीं हो सकता। राज्यपाल महोदय का यह कथन सोलह आने सच है कि इस मुद्दे पर बच्चों को शिक्षित करने के साथ ही महिलाओं की इस आंदोलन में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। निःसंदेह, नशे के नश्तर से महिलाओं को मर्मांतक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अब चाहे पति हो या बेटा, नशे की लत लगने से पूरा परिवार ही संकट में आ जाता है। इसमें दो राय नहीं के जब पंजाब की नारी शक्ति एकजुट होकर इस मुहिम का नेतृत्व करेगी तो पंजाब अपने स्वर्णिम दिनों की ओर लौट सकता है। निश्चित रूप से किसी राज्य या देश की जवानी का नशे के सैलाब में डूबना राष्ट्रीय क्षति ही है। इसके लिये नशे की आपूर्ति रोकने से लेकर प्रयोग तक पर नियंत्रण की राष्ट्रव्यापी मुहिम की जरूरत है। निःसंदेह, नशे के तेजी से बढ़ते शिकंजे से न केवल असामयिक मौतों, लाइलाज बीमारियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि समाज में अपराधों का सिलसिला भी तेज हो जाता है। देखने में आया है कि बड़े अपराधों से लेकर चोरी छीनाझपटी की घटनाओं के मूल में नशाखोरी की भूमिका होती है। कई आपराधिक घटनाओं के मूल में उन कालेज जाने वाले छात्रों की भूमिका पायी गई है, जो नशे के लिये पैसा जुटाने के लिये अपराध की अंधी गलियों में उत्तर जाते हैं। यह जानते हुए भी यह रास्ता उनके जीवन को बर्बादी की राह पर ले जाता है। निश्चित रूप से समाज विज्ञानियों को भी व्यापक अध्ययन करना चाहिए कि क्यों नई पीढ़ी नशे की ओर तेजी से उन्मुख हो रही है। एक समय था कि पंजाब में आतंक फैलाने के खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिये सीमा पार से नशे की बड़ी खेप पंजाब भेजी जाती रही है। चरमपंथियों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिये भी इस षड्यंत्र को सुनियोजित तरीके पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठानों ने अंजाम दिया। हाल के दिनों में बीएसएफ ने पाकिस्तान की सीमा से लगते भारतीय इलाकों में ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थों को गिराने की साजिशों पर लगाम लगायी है। निश्चित रूप से पहले कदम के रूप में सीमाओं को

बार स्त्रीवाद की बात उन्नीसवीं सदी के मध्य से लेकर बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों तक सुनी गई। फिर दूसरी बार स्त्री अधिकारों की तेज आवाजें 1960 से लेकर 1980 के शुरुआती वर्ष में देखी गई। आपको याद होगा कि 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष भी घोषित किया था। भारत में भी यह एक तरीके से स्त्रीवादी आंदोलन की शुरुआत थी। अपने यहां स्त्री अधिकारों की बातों को मीडिया ने भी उठाया। अमेरिका की तरह मीडिया बैशिंग औरतों को नहीं झेलना पड़ी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तरह-तरह के कानून बनाए गए। यहां तक कि भारत में तो इंदिरा गांधी 1966 में ही प्रधानमंत्री बन गई थीं, अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर पहुंचने का इंतजार अभी तक महिलाओं को है। वहां तो वोट के अधिकार तक के लिए महिलाओं को सत्तर साल तक संघर्ष करना पड़ा था। जबकि हमारे यहां महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। स्त्री अधिकारों की बात अपने यहां भी उन्नीसवीं सदी में पुनर्जागरण के नायकों और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले नेताओं ने जोर-शोर से उठाई थी। यों हजारों वर्षों से स्त्री की आफतों की बात होती रही है। थेरिगाथाओं में बौद्ध भिक्षुणियों की ये आवाज और शिकायतें सुनी जा सकती

हैं। तुलसीदास की वे पंक्तियां भी उद्घृत करने योग्य हैं— केहि विधि नारि रची जग माहीं, पराधीन सपनेहु सुख नाहीं। बंगाल के महान उपन्यासकार शरतचंद्र ने भी अपने साहित्य में इस तरह के मुद्दों को खूब उठाया। हिंदी में भी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला आदि के साहित्य में स्त्रियों की समस्याओं की बात प्रमुखता से मिलती है। स्त्रीवाद की तीसरी धारा 1990 से 2010 तक मानी गई और 2010 के बाद चौथी धारा की बात की जा रही है। इसमें पितृसत्ता से पूरी मुक्ति और औरतों को समान वेतन देने की बात प्रमुखता से उठाई गई है। फिर 2018 में टिक्टटर के जरिए दक्षिण कोरिया में एक आंदोलन चलाया गया, जिसे 4बी का नाम दिया गया। इसमें स्त्रियां एक कदम और आगे जा पहुंचीं। कोरियाई भाषा में व से शुरू होने वाले चार शब्दों का प्रयोग किया गया। ये शब्द हैं— बिहोन—पुरुष से शादी नहीं, बिकुलसन दृ कोई बच्चा नहीं, बियोनाए— पुरुषों के साथ डेटिंग भी नहीं, बिसेक्सेउ, पुरुषों के साथ यौन सम्बंध नहीं। इसे फोर नोज भी कहते हैं। यानी कि महिलाओं के न कहने का अदि आकार। इस आंदोलन में कहा गया था कि जो स्त्रियां अकेली रहती हैं, विवाह नहीं करती, जिनके बच्चे नहीं होते, कोरियाई सरकार और समाज उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखता। महिलाओं को नौकरियों में भी पुरुषों के मुकाबले कोई प्राथमिकता नहीं मिलती। औरतों

को सिर्फ उपभोक्ता समझा जाता है। पूँजीवादी समाज उन्हें हर तरह के अधिकार से वंचित करता है। समाज महिलाओं को सिर्फ मां बनाना चाहता है। जबकि मां बनना, न बनना, औरत का अपना अधिकार है क्योंकि यह उसका शरीर है। इसलिए वे अब पुरुषों से किसी भी प्रकार का सम्बंध नहीं रखना चाहतीं। वे ब्यूटी पार्लर्स का भी बहिष्कार कर रही हैं। कमाल ये है कि महिलाओं ने अपनी आफतों के लिए पूँजीवाद को दोषी ठहराया है, मगर बहिष्कार वे पुरुषों का कर रही हैं। जबकि पूँजीवाद में पुरुष भी मात्र उपभोक्ता में तब्दील कर दिए गए हैं, और वे भी शिकार ही हैं। अमेरिका में जब से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस को हराकर चुनाव जीता है, तब से वहां भी 4बी आंदोलन की आवाज सुनाई दे रही है। स्त्रियां पुरुषों का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहती हैं। इसका एक बड़ा कारण यह है कि ट्रंप को गर्भपात विरोधी माना जाता है। यहां भी औरतों का मानना है कि वे मां बनें या न बनें, यह उन्हें ही तय करने दीजिए। कोई पुरुष उन्हें इसके ऊपर लाद नहीं सकता। ट्रंप अपने भाषणों में बार-बार कहते रहे हैं कि अमेरिकी समाज की बड़ी जरूरत परिवार और परिवार के मूल्यों की वापसी है। पूर्व उपराष्ट्रपति अल गेर की पत्नी तो परिवार की वापसी का

आंदोलन 1993 से चला रही है। लेकिन अमेरिकी स्त्रियां कोरियाई स्त्रियों की तरह ही कह रही हैं कि उन्हें भी अपने जीवन में कोई पुरुष नहीं चाहिए। हम उन्हें सत्ता में आने से रोक नहीं सकते, मगर उनसे दूर तो हो सकते हैं। उनका मानना है कि वे जैसे चाहें जीवन जीएं, यह उनका अधिकार है। इसीलिए औरतें कह रही हैं कि न वे सजेंगी, संवरेंगी, न पेड़िक्योर कराएंगी, न मेनिक्योर। वे डेटिंग एप्स और वेबसाइट्स को अलविदा कह रही हैं। पुरुषों के सम्पूर्ण बहिष्कार की बातों से कोई भी समाज कहां जा सकता है। एक तरफ स्त्रियां पुरुषों का पूरी तरह से बहिष्कार चाहती हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं, जो स्त्रियों को मामूली मानव अधिकार तक नहीं देते। वे सदियों पुराने दार्मिक कानूनों से उन्हें हांकते हैं और इसे जर्सीफाई भी करते हैं। तालिबानों ने तो महिलाओं की शिक्षा, उनके बाहर निकलने, संगीत सुनने आदि तक पर प्रतिबंध लगा दिया है। 4बी चलाने वाली स्त्रियों की नजर इन महिलाओं पर नहीं जाती। क्या ये औरतें नहीं। इनके कोई मानव अधिकार नहीं। ये स्त्रियां, स्त्री विमर्श से बाहर क्यों हैं। अपने यहां भी जब सरकार ने तीन तलाक के खात्मे का निर्णय किया था, तो बहुत—से लोगों ने दार्मिक मान्यताओं का हवाला देकर इसका विरोध किया था। यदि तलाकशुदा मुसलमान स्त्रियों की



हालत जाननी हो, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सईदा हमीद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट द्वायस आफ द बायसलैस पढ़ी जा सकती है, जिसमें इन अभागी औरतों का ऐसा वर्णन है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर धर्म के ठेकेदारों को अपनी ही स्त्रियों की चिंता क्यों नहीं होती। देखने की बात यह है कि अमेरिका में एक ड्रेडिशनल वाइफ मूवमेंट भी है, जिसमें बहुत सी स्त्रियां कहती हैं कि वे अपने घरों में रहना चाहती हैं। पति और बच्चों की देखभाल करना चाहती हैं। पति के लिए भोजन पकाना तथा हर तरह के अन्य कामों में उनकी दिलचस्पी है। वे घर और दफतर के बीच दौड़ती रहना नहीं चाहती। अगर ध्यान से देखें तो जब भी कोई विमर्श जन्म लेता है, उसका प्रति विमर्श भी साथ-साथ आंखें खोलता है और उसे चुनौतियां देने लगता है। क्या दुनिया के सारे पुरुष स्त्रियों को सत्ता रहे हैं या बहुसंख्यक वे भी पीड़ित और सताए गए हैं। चांदी की चम्मच जिनके मुंह में हैं, वे स्त्री हों या पुरुष, पूरी दुनिया में मजे में हैं और उनकी सम्पत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। निजी जीवन में पुरुष नहीं चाहिए, तो जिस आत्मनिर्भरता के परचम को लहरा रही हैं, कार्यस्थलों से भी क्या पुरुषों को खदेड़ देंगी। यदि इस समाज में सिर्फ औरतें रहेंगी, तो क्या वास्तव में तमाम तरह के शोषण और अन्याय से मुक्ति मिल सकेगी। स्त्रियों का राज होगा, तो क्या सत्ता चलाने का तंत्र बदल जाएगा। शायद नहीं, क्योंकि सत्ता चलाने के अपने तंत्र होते हैं और दुनिया में कोई भी सत्ता हो, वह निरंकुशता से ही चलती है। कोई सत्ता भी इससे मुक्त नहीं होगी। इतिहास भी इस बात का गवाह है।

कनाडा को अमेरिका का राज्य बना देंगे

आदत्य
असेहि

जनारका क नए बुन गए ट्रूपति डोनाल्ड ट्रूप अपने बेबाक नानों और फैसलों के लिए जाने तो हैं। वो आए दिन ऐसी घोषणाएं तोते रहते हैं कि जिसे लगता है कि उनके शपथ लेने के बाद वाशिंगटन नीतियों के साथ ही विदेश नीति भी एक बड़ा बदलाव देखने को लेंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति नाल्ड ट्रूप ने कहा है कि वो कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डोनाल्ड ने जस्टिन दूड़ों से कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य जाना चाहिए। अमेरिका में लालाल 50 राज्य हैं। डोनाल्ड ट्रूप इस प्रस्ताव ने कनाडा की जमीन ला दी है। पूरा भारत भी ये खबर लेकर हैरान है। दुनियाभर के लोग ले तो इस खबर को झूठ मान थे। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रूप खुद ही इस खबर पर मुहर ला दी। डोनाल्ड ट्रूप ने अपने शाल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा एप एक तस्वीर डालकर खबर की टेट की है। तस्वीर देखकर ऐसा रहा है कि ट्रूप अमेरिका में डै होकर कनाडा को देख रहे हैं। की कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाया जा सके। इस तस्वीर में भी दिखाया गया है कि डोनाल्ड

द्वूड़ा न डोनाल्ड ट्रंप से टारक न
बढ़ाने के लिए भीख मांगी। लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया।
ट्रंप ने भड़कते हुए द्वूड़ो से कहा
कि यदि आपको हमारे फैसले से
दिक्कत हो रही है तो आप कनाडा
के बॉर्डर को खत्न करिए और खुद
अमेरिका का हिस्सा बन जाइए।
ट्रंप के टैरिफ लगाने की बात पर
द्वूड़ो ने कहा कि आप टैरिफ नहीं
लगा सकते क्योंकि इससे कनाडा
की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी।
फॉक्स न्यूज के अनुसार, ट्रंप ने
जवाब दिया, तो आपका देश तब
तक जीवित नहीं रह सकता जब
तक कि वह अमेरिका को 100
बिलियन डॉलर का चूना न लगा
दे? ट्रंप ने जस्टिष्न द्वूड़ो को दो
टूक कहा कि अमेरिका के साथ
100 बिलियन का व्यापार घाटा
है। इसे खत्म करना ही होगा,
वरना हम कड़े फैसले लेने के लिए
मजबूर होंगे। कनाडा चाहे तो
अमेरिका का 51वां राज्य बन
सकता है। हम जस्टिष्न द्वूड़ो को
उसका गवर्नर बना देंगे। इस पर
द्वूड़ो ने कहा कि नहीं नहीं प्रध
ानमंत्री का पद बेहतर है। लेकिन
ट्रंप की इस टिप्पणी पर जस्टिष्न
द्वूड़ो को सांप सूंघ गया। कनाडा,
1967 से प्रधान सर्वतंत्र राजदूत है, और

पहवान जनारका से जलग हो दाना दे शां के राजनीतिक ढांचे अलग—अलग हैं। कनाडाई संविधान और ब्रिटिश राजशाही के प्रति निष्ठा कनाडा को एक विशिष्ट पहचान देती है। कनाडाई जनता और राजनेताओं ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी है। जनता के लिए यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है, क्योंकि यह उनकी संप्रभुता और स्वतंत्रता के खिलाफ है। पिछले कुछ दशकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पड़ोसियों के बीच व्यापार घाटा निस्संदेह बढ़ा है। कनाडा के साथ, संबंध ऐतिहासिक रूप से अपेक्षाकृत संतुलित रहे हैं, लेकिन पिछले दो वर्षों में बदलाव देखा गया है। मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा आयात की बढ़ती लागत और मात्रा के कारण। दूसरी ओर, मैक्सिको ने हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने व्यापार अधिकार में विस्तार देखा है, जो ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रतिस्पर्धी उद्योगों के बढ़ते आयात से प्रेरित है। ट्रम्प व्यापार घाटे को अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी के रूप में देखते हैं जिसे एड्रेस करने की आवश्यकता है। व्यापार परिवर्धन लगाकर उनका लक्ष्य संतोष

और भी गम हैं पर्ची-खर्ची के सिवाय

३

हरियाणा में इस साल जो शब्द सबसे ज्यादा बोला गया, वो है—
चीं-खर्ची। बिना पर्ची-खर्ची के नौकरियों का मिलना हरियाणा सरकार
गी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि
चीं-खर्ची ने तीसरी बार सरकार बनवा दी। पर सच्चाई यह है कि खर्ची
गो चाहे हरियाणा में बंद हो जाये पर पर्ची का वर्चस्व हमेशा की तरह
शगम रहेगा। डॉक्टर की पर्ची में रोगियों के नवजीवन की दवाइयों की
यूकी होती है तो परीक्षा भवन में बैठे विद्यार्थी की जेब में भरी पर्वियां
उसकी नैया पार लगाती हैं। पर्ची चाहे डॉक्टर की हो चाहे परीक्षार्थी
गी, उनमें एक समानता है कि दोनों ही दिल बिठाने का काम करती
हैं। डॉक्टर की पर्ची दवाइयों का बिल बनाती है तो रोगी का दिल बैठता
है और परीक्षार्थी को जब यह पता चलता है कि उसकी पर्ची में लिखा
सवाल परीक्षा में आया ही नहीं तो विद्यार्थी का दिल बैठने लगता है।
उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं' सवाल के जवाब में नकलची ने लिखा
कि वह प्रदेश जहां उत्तर का परीक्षा में बैठने से पहले ही पता चल
जाये, उत्तर प्रदेश कहलाता है। जब अध्यापक ने दो बच्चों से पूछा कि
उम्हारे उत्तर एक जैसे कैसे हैं तो बच्चों का जवाब था कि प्रश्न भी तो
क जैसे ही थे। जब कभी विद्यार्थी स्कूल न आने की वजह बताता है कि
ह बीमार हो गया था तो अध्यापक का फरमान होता है कि कल डाक्टर
गी पर्ची लेकर आना। उस्ताद बच्चे का जवाब होता है कि उसने तो झाड़ा
नगवाया है और एक पर्ची में भूमूल मिली है, कहो तो लाऊ? एक नकलची
बाब के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला— हे प्रभु! इस बार पास
नरवा दो और सरकारी नौकरी लगवा दो। उसके बिना चढ़ावे के हाथ
खकर उन्होंने पूछा— क्या बात, चढ़ावे के लिये कोई नारियल, सेब,
लेला नहीं लाये? प्रार्थी बोला— आप कर्म करो, फल की चिंता न करो।
कूल—कॉलेज में उसे ही सच्चा मित्र माना जाता है जो समय पर सही प्रश्न
गी पर्ची पहुंचा दे। यह और बात है कि लड़के तो पर्ची से नकल करने पर
उसे एक के बाद दूसरे को देते रहते हैं पर लड़कियां नकल करने के बाद
चीं को ऐसे पचा जाती हैं जैसे भ्रष्ट करोड़ों डकार जाते हैं और पता भी
नहीं चलता। एक बर की बात है अक इस्तहान मैं नथू कती गुमसुम बैठवा
गा। मास्टरणी बोल्ली— रोल नंबर भूल आये बेटा? नथू चुप बैद्धा रह्या।
मास्टरणी नैं हटकै बूझी— बेटा पैन भूल आये क्या? नथू परेशान होकै
कदम चीखता सा बोल्या— चुप हो ज्या बुआ। तेरै पैन अर रोल नंबर की
लाग लाग री हैं। उरे मैं पर्ची दूसरे सब्जैक्ट की पाड़ ल्याया।

4

गीर
यो न्याय संहिता
भारतीय साक्ष्य अदि
(एसए) और भारतीय
सुरक्षा संहिता
(न) के लागू होने के
भर में इन नए कानूनों
विभिन्न तरह की
सामने आई हैं। ये नये
योग कानूनी प्रणाली के
रण और सरलीकरण
एक महत्वपूर्ण कदम
काल के पुराने कानूनों
पर, ये नए कानून देश
आवश्यकताओं के
प्रौढ़ और न्याय व्यवस्था में
लंबित सामलों को

जल्दी निपटाने में मदद करेंगे।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में
अपराधों की जांच और मुकदमों
को तय समय सीमा में निपटाने
की व्यवस्था है, जिससे न्याय में
देरी नहीं होगी। भारतीय नागरिक
सुरक्षा संहिता में महिलाओं और
बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत
प्रावधान किए गए हैं, जिससे सुरक्षा
की भावना बढ़ी है और अपराधों
पर नियंत्रण की उम्मीद है। इन
कानूनों के माध्यम से सरकार
कानून का शासन स्थापित करने
और कानून व्यवस्था बनाए रखने
का संकल्प दोहरा रही है। कई
लोग मानते हैं कि ये कानून देश
के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे।

न्यायिक सुधारों के दीर्घकालीन प्रभावों के यक्ष प्रश्न

क्योंकि ये निवेशकों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेंगे। इन कानूनों में तकनीकी बदलाव किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को स्वीकार करना, जो जांच प्रक्रिया को अधिक कुशल और प्रभावी बनाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इन नए कानूनों में कई जगह अस्पष्टताएँ हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता भी चिंतित हैं कि इन कानूनों का इस्तेमाल मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिए किया जा सकता है। कुछ विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन कानूनों को बनाने में पर्याप्त चर्चा और विचार-विमर्श नहीं किया गया है। कुछ का मानना है कि इन कानूनों के तहत सरकार को बहुत अधिक शक्तियां दे दी गई हैं, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। कई विपक्षी दल और नागरिक समाज संगठन इन कानूनों को लोकतंत्र के लिए चुनौती मानते हैं, यह चिंता जताते हुए कि ये कानून सरकार को विरोधियों को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण का एक उपकरण प्रदान कर सकते हैं।

कानूनों में अस्पष्ट और व्यापक शब्दों के प्रयोग से इनके दुरुपयोग का डर है, जैसे कि 'देशद्रोह' के दायरे को लेकर उठे सवाल। विषय का आरोप है कि इन कानूनों को संसद में बिना पर्याप्त चर्चा और बहस के जल्दबाजी में पारित किया गया। उनका कहना है कि ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, विशेषकर गिरफतारी और हिरासत से संबंधित प्रावधानों को लेकर चिंता जताई गई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून पुलिस को अधिक शक्तियां देंगे, जिससे नागरिकों का दमन बढ़ सकता है। विद्वानों के अनुसार, ये कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए चुनौती हो सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय और विषेष दलों का आरोप है कि ये कानून विशेष रूप से उनके लिए चिंताजनक स्थितियां उत्पन्न करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कानूनों को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और मानव संसाधन अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। त्रोयं चिंतित हैं कि इन कानूनों का गलत इस्तेमाल हो सकता है और अधिकारों का हनन हो सकता है। कुछ लोग नए कानूनों का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ को संदेह है। कई का मानना है कि इन कानूनों के प्रभाव का सही आकलन करने में समय लगेगा। तर्क देते हैं कि ये कानून देश में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, अपराधों पर अंकुश लगाएंगे और न्यायपालिका को अधिक प्रभावी बनाएंगे। वकीलों का एक वर्ग इन कानूनों का विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करेंगे। नागरिक समाज के कई संगठन इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कानून लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ हैं। नए कानून में राजद्रोह के दायरे को लेकर कई सवाल उठे हैं। विषय का तर्क है कि यह प्रावधान सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जमानत मिलने के मानदंडों को लेकर भी कई सत्ताएँ उठे हैं। पुलिसिया हिरासत के दौरान लोगों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। नए कानून में डिजिटल निगरानी के प्रावधानों को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। कुछ का मानना है कि ये नए कानून काफी जटिल हैं और आम लोगों को इन्हें समझने में मुश्किल होगी। अदालतें इन कानूनों की व्याख्या कैसे करती हैं, और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन कानूनों को किस तरह से लागू करती हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक होगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हुए बदलावों को लेकर जनता की प्रतिक्रियाएं विविध हैं। इन कानूनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। इन कानूनों के दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करने के लिए अभी और समय की आवश्यकता है। देखना बाकी है कि ये कानून जपीनी स्तर पर कैसे लागू किए जाते हैं और उनका आम नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून एक जीवंत दस्तावेज है और समय के साथ उसमें बदलाव होने जरूरी हैं।

